भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 256*
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

***256. श्रीमती लवली आनंद:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कृषि आधारित स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष नीति कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों के विकास के लिए कितनी नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 18.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या256 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से , ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) कई योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है , जिनका मुख्य बल आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने , बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक शामिल हैं।

(ख): ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए , डीएवाई-एनआरएलएम वर्ष 2015 से स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) को कार्यान्वित कर रहा है , जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है और अब तक कुल 3.36 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए स्व सहायता समूह परिवारों के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) , उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट निधि;

ii. सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का संवर्ग – व्यवसाय संबंधी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी);

iii. सेवाओं में व्यावसायिक विचारों की पहचान, व्यावसायिक योजनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, बैंकों से ऋण प्राप्त करना, खातों का रखरखाव, विपणन आदि शामिल हैं;

iv. उद्यमियों को सूचना प्रदान करने के लिए विशेष केंद्र जिसे ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कहा जाता है;

v. प्रशिक्षित मानव संसाधन जिसमें ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम), मेंटर और सीआरपी-ईपी शामिल हैं।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत ''नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास '' कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने एग्रीश्योर निधि भी बनाई है जिसका उद्देश्य इक्विटी और ऋण में पूंजी सहायता प्रदान करके शुरुआती चरण के कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में नवाचार को बढ़ावा देना , उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली कार्यविधियों को बढ़ावा देना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), तकनीकी आधारित कृषि , पर्यावरण अनुकूल समाधान और डिजिटल कृषि जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाना शामिल है।

(ग): योजना की शुरुआत से दिनांक 11.03.2025 तक कुल 8,34,772 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,74,757 किलोमीटर सड़क लंबाई पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के तहत निर्मित की जा चुकी है। पीएमजीएसवाई के तहत दिनांक 11 सितंबर, 2024 को पीएमजीएसवाई-।V नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है , जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची- V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक , रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली संपर्कविहिन बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना को वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा , जिसका लक्ष्य 25,000 संपर्कविहिन बस्तियों को सड़को से जोड़ना है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस योजना के तहत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में मदद कर रही है।

इसके अलावा , पीएमजीएसवाई के तहत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) नामक एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया है , जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाली बसावटों को सड़क से जोड़ना है। इसमे 100 व्यक्ति तक की आबादी वाली बसावटों को शामिल किया जाना है। इसकी लक्षित लंबाई 8,000 किलोमीटर है, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष (2023-24 से 2027-28) है। दिनांक 11.03.2024 कि स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 4,831 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी जा चुकी है।

******